अत्यन्त आवश्यक /विशेष ध्यानाकर्षण

कम्प्यूटर संख्या-0809045

पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(चेकपोस्ट)मु0-जॉच चौकी // 08-09// 740 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

(चेकपोस्ट अनुभाग)

दिनॉक:: लखनऊ :: 23 जुलाई, 2008

1- समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,उ0प्र0

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0 नु0शा0/प्र0)उ0प्र0

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / अपील / उ0 न्या0कार्य/ सर्वो0न्या0 कार्य0) उ0प्र0

4- समस्त डिप्टी कमिश्नर(,उ0प्र0

5- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर उ0प्र0

7- समस्त वाणिज्य कर अधिकारी उ0प्र0

विषय- प्रदेश में कार्यरत जॉच चौकियों की संख्या/कार्यप्रणाली में परिवर्तन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-ज्वा0कमि0(चेकपोस्ट)मु0-जॉच चौकी // 08-09// 366/ वाणिज्य कर दिनांक 30-5-08 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत जॉच चौकियों पर फार्म 38/ फार्म 39 के पृष्ठॉकन की व्यवस्था न होने तथा इस क्रम में निकट भविष्य में जॉच चौकियों पर फार्म 38/ फार्म 39 के प्रस्तुतीकरण/पृष्ठॉकन की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करते हुये केवल पारगमन प्राधिकार पत्र के जारी/खारिज करने एवं स्वत: घोषणा के अन्तर्गत समाधान शुल्क वसूल किये जाने का कार्य ही प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु वर्तमान मे निम्न 37 जॉच चौकियों को कार्यरत रखे जाने से अवगत कराया गया है :-

क्रम संख्या	जांच चौकी / जनपद का नाम	वर्तमान में निर्धारित श्रेणी
1	मोहन नगर (मोहन नगर एक्सटेन्शन सहित) जनपद गाजियाबाद)	ए
2	लोनी (जनपद गाजियाबाद)	सी
3	विजय नगर (गाजियाबाद)	बी
4	रूपईडीहा (जनपद बहराइच)	डी
5	गौरीफन्टा (जनपद खीरी लखीमपुर)	डी
6	आई.सी.डी. नोएडा (जनपद गौतमबुद्धनगर)	-
7	फतेहपुर सीकरी (जनपद आगरा)	बी
8	सैंय्या (जनपद आगरा)	ए
9	बभनी (जनपद सोनभद्र)	सी
10	औड़ीमोड़ (जनपद मिर्जापुर)	सी
11	चौखटा (जनपद इलाहाबाद)	बी
12	ड्रमण्डगंज (जनपद मिर्जापुर)	बी
13	आमटाण्डा (जनपद बरेली)	बी
14	मझोला (जनपद पीलीभीत)	डी
15	अमरिया (जनपद पीलीभीत)	डी
16	नौबतपुर (जनपद चन्दौली)	ए
17	भरौली (जनपद बलिया)	सी
18	बारा (जनपद गाजीपुर)	सी
19	गौरीपुर (जनपद बागपत)	सी

20	शाहजहांपुर (जनपद सहारनपुर)	सी
21	बड़कला (जनपद सहारनपुर)	सी
22	कैराना (जनपद मुपफ्फरनगर)	सी
23	हरिनगर (जनपद मुपफ्फरनगर)	सी
24	भूराहेड़ी ग्राम (जनपद मुपफ्फरनगर)	सी
25	रक्सा (जनपद झांसी)	बी
26	मसौरा(जनपद ललितपुर)	सी
27	श्रीनगर (जनपद महोबा)	डी
28	तमकुहीराज (जनपद कुशीनगर)	ए
29	सोनौली (जनपद महराजगंज)	सी
30	बढ़नी (जनपद सिद्धार्थनगर)	डी
31	ठाकुरद्वारा (जनपद मुरादाबाद)	सी
32	कौशलगंज(जनपद रामपुर)	सी
33	भागूवाला (जनपद बिजनौर)	सी
34	कौड़िया (जनपद बिजनौर)	डी
35	कोटवन (जनपद मथुरा)	ए
36	मुगर्रा (जनपद मथुरा)	सी
37	ऊदी (जनपद इटावा)	सी

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में संचालित की जा रही निम्नलिखित 46 जॉच चौकियों पर शासन द्वारा निर्धारित तिथि से कार्य पूर्णत: बन्द कर दिये जाने से अवगत कराया गया है :-

क्र0सं0	जांच चौकी का नाम	जनपद का नाम	श्रेणी
01	समऊर	कुशीनगर	डी
02	चखनी	कुशीनगर	डी
03	मेहरौना	देवरिया	डी
04	रामपुरबुर्जुग	देवरिया	डी
05	खुनवा	सिद्धार्थनगर	डी
06	चॉददियर (मॉझीघाट)	बलिया	डी
07	अम्बाबाय	झॉसी	सी
08	भगवन्तपुरा	झॉसी	डी
09	देवरीमऊ रानीपुर	झॉसी	ह्डी
10	कुआॅगॉव	झॉसी	डी
11	बंगरा	जालौन	डी
12	पनवाड़ी	महोबा	डी
13	कुम्हरौरा	महोबा	डी
14	नरैनीचौराहा	हमीरपुर	डी
15	सीतापुर	चित्रकूट	डी
16	कुलेसरा (नोयडा)	गौतमबुद्व नगर	ए
17	कोण्डली बांगर	गौतमबुद्धनगर	सी

18-	झुप्पा ग्राम	गौतमबुद्धनगर	डी
19-	महाराजपुर	गाजियाबाद	सी
20-	टी0पी0नगर	गाजियाबाद	बी
21-	साहिबाबाद (कड़कड़पुल)	गाजियाबाद	सी
22-	भोपुरा	गाजियाबाद	बी
23-	भोयापुर	गाजियाबाद	सी
24-	इन्द्रापुरी	गाजियाबाद	सी
25-	मकनपुर	गाजियाबाद	सी
26-	टीलाकोठी	गाजियाबाद	डी
27-	डी0एल0चौराहा	गाजियाबाद	डी
28-	नगलाबीच (नन्दगॉव)	मथुरा	डी
29-	सौख	मथुरा	डी
30-	गोवर्धन	मथुरा	डी
31-	रैना नगर	आगरा	सी
32-	शमसाबाद	आगरा	डी
33-	अछनेरा	आगरा	डी
34-	डूंगरवाला	आगरा	डी
35-	विप्रावली	आगरा	डी
36-	बिण्डमगंज	सोनभद्र	डी
37-	बादशाहीबाग	सहारनपुर	डी
38-	मोहन्ड	सहारनपुर	डी
39-	हथनीकुंड	सहारनपुर	डी
40-	दुगचाड़ी	सहारनपुर	डी
41-	अमरपुर	सहारनपुर	डी
42-	मसवारी चौराहा	रामपुर	डी
43-	रायपुरी	बिजनौर	डी
44-	सुॅआवाला (भूतपुरी)	बिजनौर	डी
45-	नारायन नगला	बरेली	डी
46-	माधोटान्डा	पीलीभीत	डी

इन जॉच चौकियों के समाप्त होने पर की जानें वाली समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिये आपको पत्र दिनांक 30-5-08 से निर्देशित किया जा चुका है।

दिनांक 31-7-08/ 1-8-08 की मध्य रात्रि से उपर्युक्त 46 जॉच चौकियों का संचालन पूर्णत: बन्द किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है। दिनांक 31-7-08/1-8-08 की मध्य रात्रि से ही आयात घोषणा पत्र (फार्म 38/39) का पृष्ठांकन जॉच चौकियों पर नही किया जायेगा। भविष्य में संचालित रहने वाली जॉच चौकियों पर पारगमन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने / खारिज किये जाने का कार्य किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तर प्रदेश राज्य में होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों को पारगमन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त 37 जॉच चौकियों के रास्ते से ही प्रान्त के अंदर प्रवेश करना होगा एवं प्रान्त के बाहर जाना होगा अर्थात जो वाहन पारगमन प्राधिकार पत्र प्राप्त करना चाहते हैं वह इन्हीं जॉच चौकियों के रास्ते का प्रयोग करेंगे। जिन वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत समाधान शुल्क की व्यवस्था थी तथा अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त के अंदर ऐसी वस्तुओं के आयात करने पर जॉच चौकियों पर समाधान शुल्क लिया जाता था, उनसे संबंधित समाधान शुल्क भी पूर्व की भॉति उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य में

संचालित रहने वाली 37 जॉच चौकियों पर जमा कराया जायेगा। इन वस्तुओं के संबंध में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयात घोषणा पत्र का प्रयोग करते हुए यदि माल का आयात किया जाता है और आयात घोषणा पत्र में अधिकृत वजन से अधिक माल आयात होता है तथा अधिक माल की घोषणा स्वत: रुप से उनके द्वारा इन जॉच चौकियों पर की जाती है तो पंजीकृत व्यापारियों के लिए जारी निर्देशों के अनुरुप जमानत जमा कराये जाने की कार्यवाही भी इन जॉच चौकियों पर की जायेगी।

सड़क मार्ग से प्रान्त बाहर से माल लाने वाले व्यापारी / व्यक्ति विधिवत भरा हुआ आयात घोषणा पत्र (फार्म 38/39) प्रान्त के अंदर प्रवेश के समय से ही माल / वाहन के साथ रखेंगे तथा रास्ते में सचलदल इकाइयों द्वारा वाहन / माल की जॉच किये जाने पर सचलदल अधिकारियों द्वारा जॉच किये गये आयात घोषणा पत्रों/ प्रपत्रों पर " **जॉच किया** " लिखकर सचलदल अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा अपनी मुहर लगायेगें तथा ऐसे जॉच किये गये आयात घोषणा पत्रों का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे जिसकी सूचना संबंधित व्यापारी के कर निर्धारण अधिकारी को एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करेंगे। व्यापारी द्वारा माल की डिलीवरी लेने के उपरान्त आयात घोषणा पत्र की मूल प्रतियॉ निम्न व्यवस्था के अनुसार अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दाखिल की जायेगी :-

1- प्रान्तीय / केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों/ कार्पोरेशन तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर इनसे संबंधित फार्म-38/39 की मूल प्रतियॉ , माल की डिलीवरी रिसीट , बिल्टी तथा बिल / चालान की स्वत: प्रमाणित छाया प्रतियों सहित संबंधित माह के रिटर्न के साथ अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दाखिल करेंगे।

2- अन्य सभी व्यापारी प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर माल की डिलीवरी प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस में फार्म 38/ 39 की मूल प्रति , डिलीवरी रिसीट एवं बिल्टी तथा माल से संबंधित बिल / चालान की स्वत: प्रमाणित छाया प्रतियों सहित अपने कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3- ऐसे व्यापारी जिनकी एक से अधिक शाखायें/ गोदाम हैं , शाखाओ/गोदाम के लिये प्रान्त बाहर से माल आयात किये जाने पर इनसे संबंधित फार्म-38/39 मूलप्रति तथा अन्य अभिलेख माल की डिलीवरी लेने के बाद अगले कार्य दिवस में उस कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में दाखिल करेंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में उनकी शाखा / गोदाम स्थित हैं ।संबंधित कर निर्धारण अधिकारी ऐसे फार्म 38/39 को उनके संबंधित मूल कर निर्धारण अधिकारियों को शील्ड लिफाफों मे प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय आने वाले पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित करेंगे।प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी से संबंधित फार्मो के लिये अलग-अलग शील्ड लिफाफे प्रेषित किये जायेंगे तथा प्रत्येक लिफाफे मे कितने फार्म 38/39 हैं , की संख्या सुस्पष्ट अंकित की जायेगी।

4- यदि कोई व्यापारी / व्यक्ति उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन नही करते हैं तो प्रथम दृष्टया यह माना जायेगा कि उसके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की व्यवस्था का पालन नही किया गया है तथा उसके विरुद्ध विधि अनुसार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

उपर्युक्त समाप्त की जाने वाली 46 जॉच चौकियों पर सचलदल इकाई को इस आशय से कार्यरत रखा जाये कि इन जॉच चौकियों पर संचालन कार्य बंद किये जाने से व्यापारियों को असुविधा न हो एवं करापवंचन भी न हो सके। यथासंभव इन जॉच चौकियों के परिसर का उपभोग सचलदल इकाइयों द्वारा किया जा सकता है तथा इन खाली हो रहे स्थलों पर सचल दल इकाई का मुख्यालय बनाते हुये वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। जॉच चौकी समाप्त होने संबंधी जानकारी भी ट्रान्सपोर्टर/ व्यापारियों को दी जाये।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन दिनांक 31-7-08/ 1-08-08 की मध्य रात्रि से निष्ठा पूर्वक सुनिश्चित किया जाये।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0,लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।</u>

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
5. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
7. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,लखनऊ।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
10. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
11. मैअनुल / सूचना केन्द्र/ नई इकाई / वैट अनुभाग / चेकपोस्ट मुख्यालय को क्रमश: 5/5/5/10/50 प्रतियॉ अतिरिक्त
12. समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
13. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
14. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
15. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर।
16. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।
17. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
18. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
19. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इंण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
20. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
21. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
22. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।
23. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
24. राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से
25. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
26. शिव कुमार रोडा,एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर
27. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद।
28. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद।
29. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर।
30. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
31. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
32. श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी , सिगरा, वाराणसी।
33. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी।
34. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर।

35. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर1
36. श्री पी0 एस0 जैन, 138-ए, ब्लाक-ए, सेक्टर-27, नोएडा।
37. श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलदाल मंडी , सहारनपुर।
38. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
39. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर।
40. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
41. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
42. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा।
43. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
44. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ।
45. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर।
46. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ।
47. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
48. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
49. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापाारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ।
50. श्री दिनेश चन्द्र मिाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ।
51. अध्यक्ष, आई0 ई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ 226010 फोननं0 2720097।
52. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ।
53. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस।
54. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।